1051/03

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 4,26,186/-
बाजारू मूल्य : रू0 2,49,700/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 42,700/-
परगना : लखनऊ

यह विक्रय विलेख राम खेलावन, माता प्रसाद, सरजू व फूलचन्द्र पुत्रगण भिखारी, ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम्

[illegible] कोषागार, लखनऊ

दिनांक [illegible]

मूल्य [illegible]

क्रम [illegible]

[illegible]

स० [illegible]   [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

0ECC 311508

कोषागार लखनऊ के पास

ए.पी.ओ/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

- 2

राम स्वरूप पुत्र श्री राम औतार निवास[redacted] चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1409 से 1414 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 252 के खसरा सं0 749 रकबा 0.455 हेक्टेंअर का आधा अर्थात 0.227 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त

1000Rs.

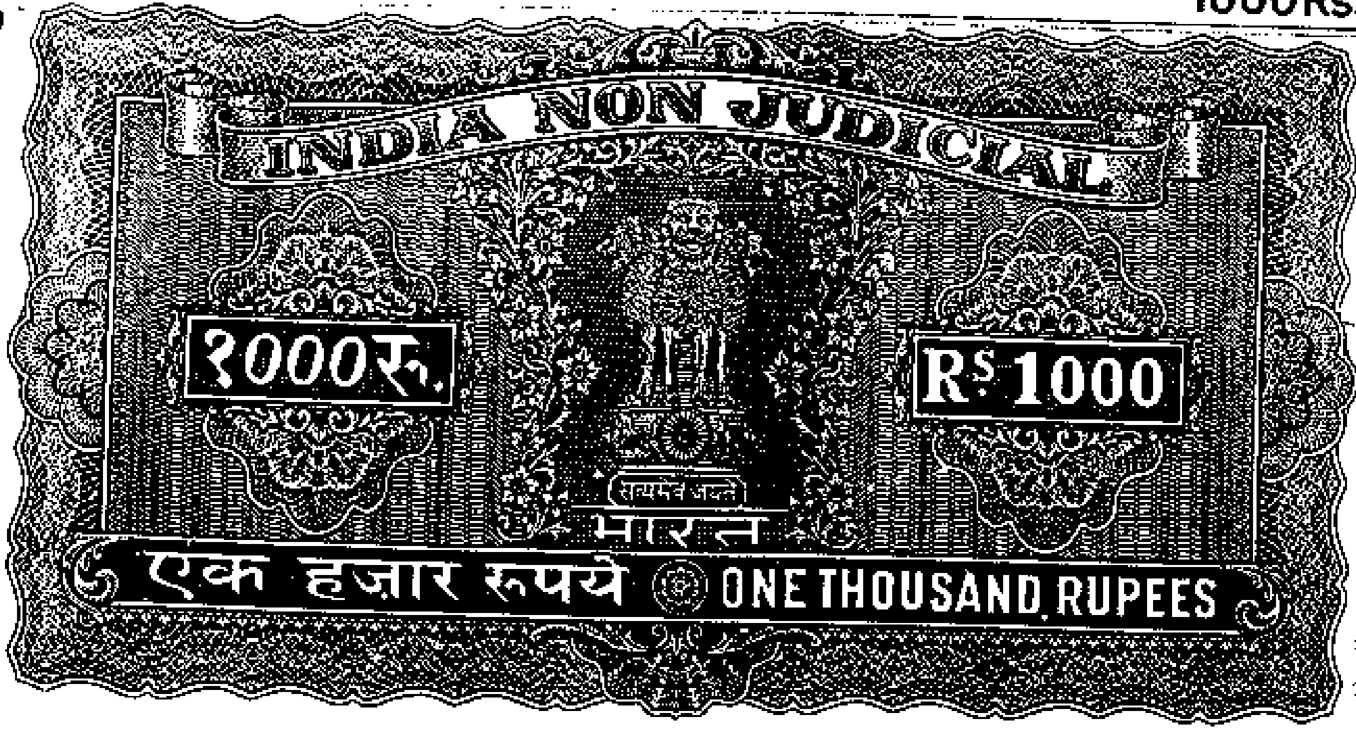

सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 252 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। उक्त सम्पत्ति विक्रेतागणों को उत्तराधिकार में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय,

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 4,26,186/– (चार लाख छब्बीस हजार एक सौ छियासी रूपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

T.R.Y. LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
17 DEC 20[illegible]
स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T.R.Y. L.K.O.

में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.　Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये　ONE HUNDRED RUPEES

- 6 -

हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को

100Rs.

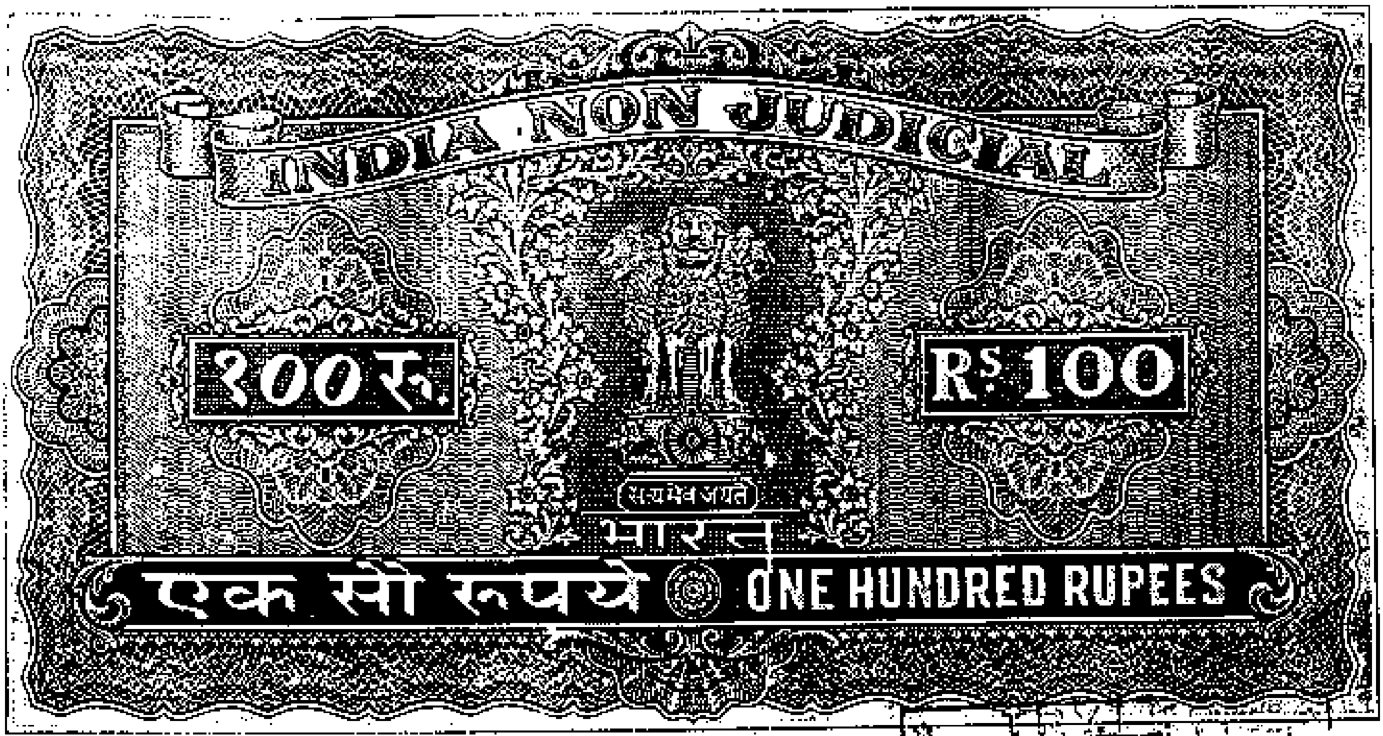

यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगें, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.227 हेक्टेअर की मालियत रू0 2,49,700/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 42,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ एवं सुल्तानपुर रोड़ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागणों ने अपने पूरे होशो–हवास व बिना किसी जोर–दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खाता खतौनी क्रम सं0 252 के खसरा सं0 749 रकबा 0.455 हेक्टेंअर का आधा अर्थात 0.227 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

<u>खसरा न0 749</u>

पूरब	: चक रोड
पश्चिम	: खसरा संख्या–748
उत्तर	: खसरा संख्या–750
दक्षिण	: चक रोड,

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

कुल रू0 4,26,186/- (चार लाख छब्बीस हजार एक सौ छियासी रूपया मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से नगद प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक: 21.12.2004
<u>गवाह</u>
1.
विक्रेतागण

2.
क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(मंयक श्रीवास्तव)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible] S/o [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

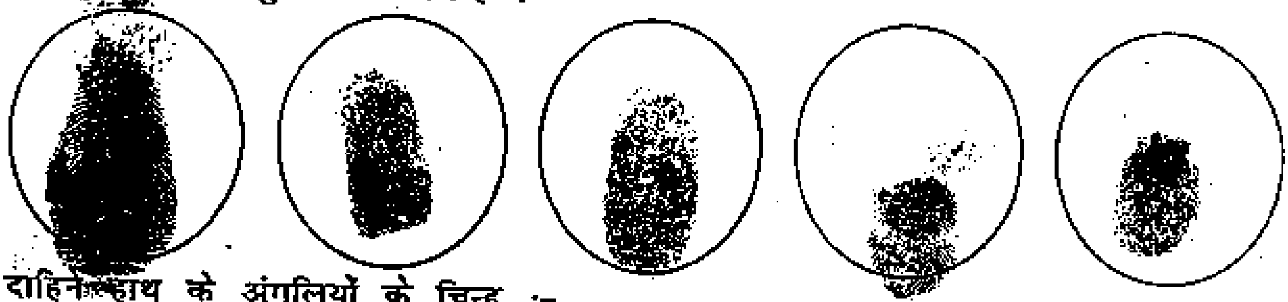

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

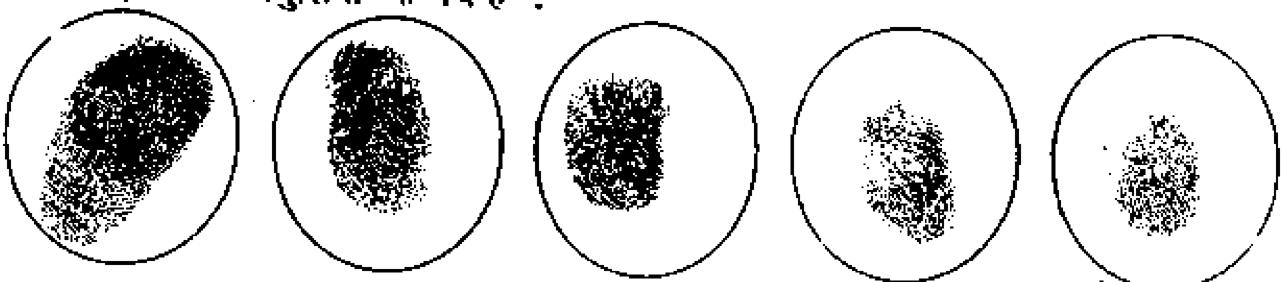

प्रस्तुतकर्ता/वि[illegible] के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- [illegible] S/o [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

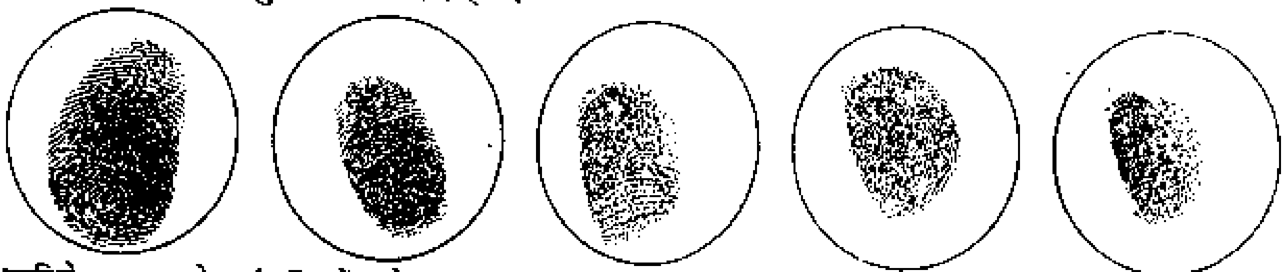

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

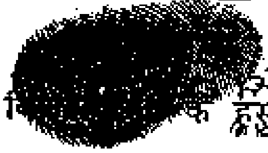

क हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

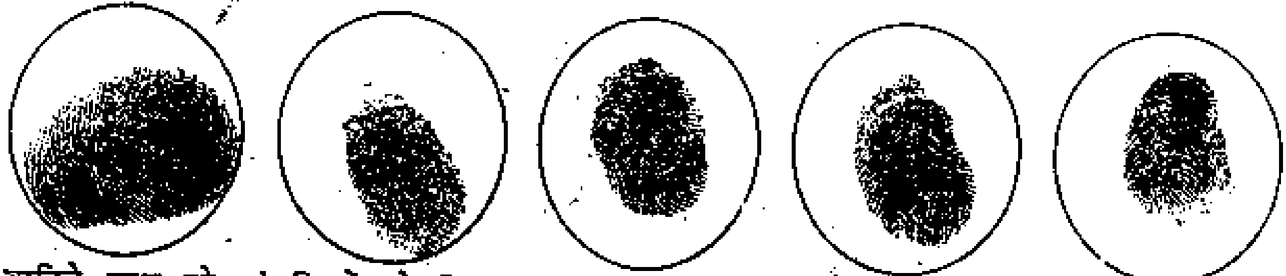

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

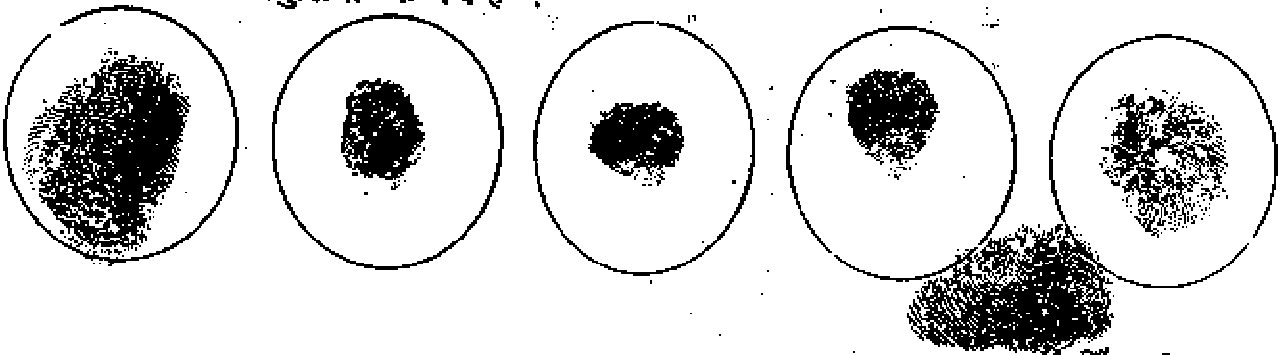

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

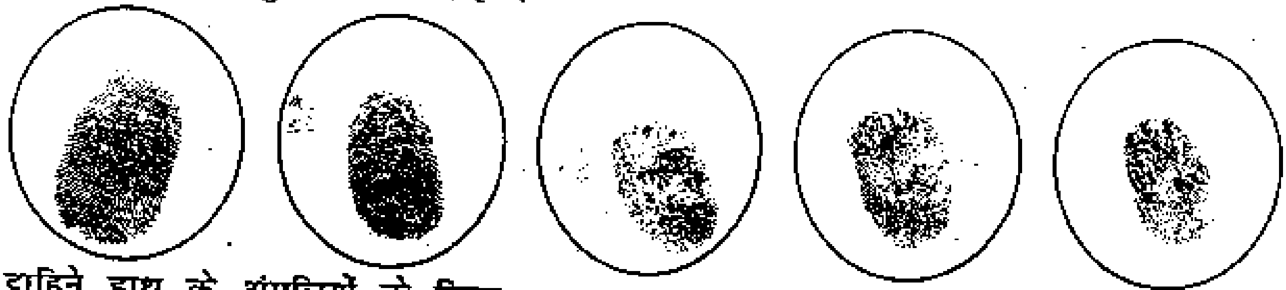

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :–

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा नं0 : 749

रकबा : 0.228 हे0

परगना : [illegible]

विक्रित सम्पत्ति के समीप स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

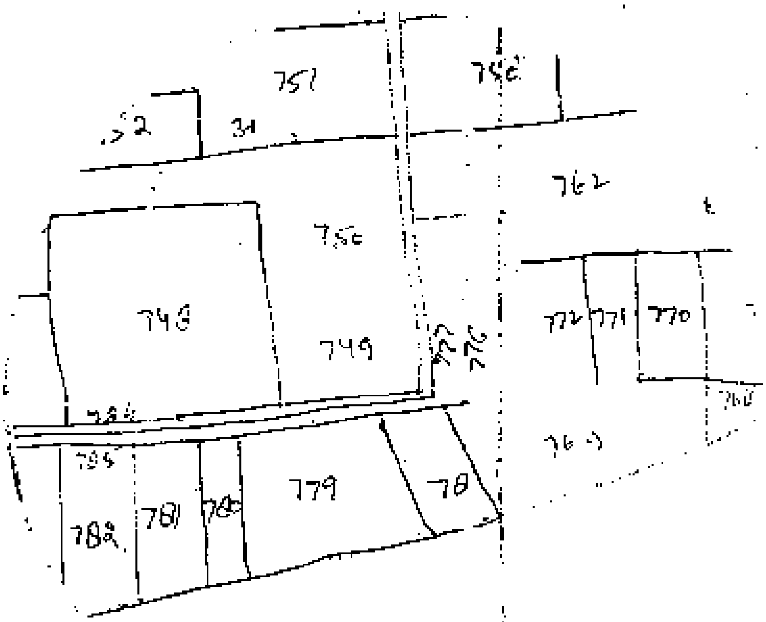

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

आज दिनांक **21/12/2004** को

वही सं **1** जिल्द सं **4737**

पृष्ठ सं. **321** से **348** पर कमांक **10579**

रजिस्ट्रीकत किया गया ।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR